



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

☎ (01334) 244143

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

Email ID : examoneukpsc@gmail.com

संख्या :120 / 60 / 01 / डी0आर0(मा0शि0) / सेवा-1 / 2016-17

दिनांक : 05 जुलाई, 2019

निस्तारण आदेश

‘उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह ‘ग’) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018’ के अन्तर्गत प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र (महिला शाखा) के सापेक्ष जारी वांछित अभिलेख प्राप्त किये जाने सम्बन्धी ज्ञाप संख्या: 82/60/01/डी0आर (मा0शि0)/सेवा-1/2016-17 दिनांक 21 जून 2019 के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा दिनांक: 05 जुलाई, 2019 लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नवत् निस्तारित किया जाता है-

प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र (महिला शाखा)

क्र0 सं0	अनु0	अभ्यर्थी का नाम	निस्तारण आदेश
1	881164	LALITA RAWAL	अभ्यर्थीगण ललिता रावल (अनुक्रमांक 881164), मीनाक्षी (अनुक्रमांक 885521) के द्वारा एम0ए0 (राजनीति शास्त्र) एवं बी0एड0 उपाधि एक ही शैक्षणिक सत्र में धारित किये जाने के कारण विज्ञप्ति सं0 82/60/01/डी0आर (मा0शि0)/सेवा-1/2016-17 दिनांक 21 जून 2019 के द्वारा उक्त अभ्यर्थीगण को दिनांक 01.07.2019 तक का समय प्रदान करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी से मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप पर उक्त शैक्षिक अर्हता की वैधता के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अभ्यर्थीगण द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त शैक्षिक अर्हता की वैधता के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त अभिलेखों में एम0ए0 (राजनीति शास्त्र) एवं बी0एड0 की शैक्षिक अर्हता एक ही वर्ष एवं सत्र में उत्तीर्ण होने का उल्लेख है। संबंधित विश्वविद्यालय के आयोग कार्यालय को प्रेषित पत्रांक-व्या0पाठ0/2015/1741, दिनांक 30.10.2015 में व्यक्तिगत एवं संस्थागत किसी भी रूप में परीक्षार्थी को एक अकादमिक सत्र में केवल एक ही उपाधि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त के दृष्टिगत मा0 आयोग द्वारा दिनांक: 05 जुलाई, 2019 को सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अभ्यर्थीगण का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रत्यावेदन का निस्तारण कर दिया गया है।
2	885521	MINAXI	

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।